न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—56/2019 तारीख रजु 13.06.2019

जीसीएमएस आई0डी0:—2019/00112

1. बलराम
2. मोहनसिंह
3. नंगराम

} पिसरान दरबसिंह, जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——सायलान—

बनाम

1. मु0 प्रेम पुत्री कजोडी
2. रूपसिंह उम्र 45 साल } पिसरान
3. रामभरोसी उम्र 40 साल } प्यारसिंह
4. रामखिलाडी उम्र 70 साल पुत्र श्री रामहेत
5. मु0 सुशीला } पिसरान
6. मु0 मनी } रामसहाय
7. बिरजु उम्र 72 साल पुत्र रामहेत

} (1–7) जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

8. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2. श्री सीताराम गुर्जर वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांक 27-3-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 1611 रकबा 72 ऐयर ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें सायलान बहिस्सा 1/2 तथा गैरसायलान बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है।

सायलान व गैरसायलान ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है, और मौके पर अपने बुजुर्गान के जमाने से सायलान व गैरसायलान अपने—अपने हिस्से की शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है, और आज भी सायलान अपने हिस्से पर बतरफ पश्चिम काबिज एवं दखील है। जिसमें अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

बाका दिनांक 05.06.2019 को सायलान [illegible] हिस्से की आराजी को आगामी फसल बाबत तैयार कर रहे थे कि गैरसायलान [illegible] हमराहीयान एक राय होकर आये, और आते ही कहने लगे कि इन खेतों को अब से हम काश्त करेंगे। इसमे मकान दुकान आदि का निर्माण करके रहेंगे। इसलिये अब तुम इन्हें काश्त मत करो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:43 IST
Reason: SelfAttested

जिस पर सायलान ने गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया, कि भाईयों हमने अपने हिस्से को ट्रैक्टर से सही करवाया है। जिसमें काफी लागत आयी है। खाद भी डाला है। और मेहनत कर अच्छा उपचाउ बनाया है। इसे तुम कैसे ले सकते हो, जिस पर गैरसायलान नाराज हुए और ऐलानिया तौर पर कहा कि इस खेत में तुम्हारे हिस्से को हम काश्त करेगें। तुम्हे काश्त नहीं करने देगे। सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नही है। यदि ये अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा न0 1611 स्थित ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के सायलान के बहिस्सा 1/2 बतरफ पश्चिम में मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायलान को आराजी का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। ऐसा कोई कार्य तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे। जिससे सायलान पर प्रतिकुल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल स0 1 ता 7 की ओर से श्री रामदयाल गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल स0 1 ता 7 की ओर से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:—

1. प्रार्थनापत्र के मद नं. 1 अनुसार सायलान द्वारा निराधार तथ्यों पर दावा पेश करना स्वीकार है, परन्तु उक्त दावा कतई गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर बिना किसी अधिकार व औचित्य के पेश होने से सायलान को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।
2. मद न 2 प्रार्थनापत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है. गलत है और स्वीकार नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.72 है0 स्थित ग्राम अकबरपुर के 1/2 भाग के सायलान खातेदार काश्तकार नहीं हैं और ना ही उक्त भूमि के 1/2 भाग पर सायलान काबिज काश्त है, बल्कि सम्पूर्ण भूमि गैरसायलान के कब्जा काश्त [illegible] खातेदारी की है।
3. मद नं. 3 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन कतई गलत है कि विवादित आराजी वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:43 IST
Reason: SelfAttested

का मौके पर कोई बंटवारा हो रहा हो। सायलान का यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि के किसी हिस्से को सायलान बजमाने बुजुर्गान शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हो। सायलान का यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि के वतरफ पश्चिम सायलान काबिज काश्त हो। विवादित भूमि के 1/2 भाग या किसी भी भाग पर सायलान का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, इसलिये बाहमी बटवारे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

4. मद नं 4 प्रार्थनापत्र कतई और नहीं है। दिनांक 05.06.19 को या किसी भी दिन किसी भी समय इस मद में वर्णित कोई वातावरण सायलान और गैरसायलान के मध्य नहीं हुआ है। सायलान का यह कथन भी गलत है कि गैरसायलान ने सायलान को विवादित आराजीयात में मकान–दुकान बनाने की धमकी दी हो। सायलान ने इस मद में समस्त कथन कतई गलत व बनावटी महज दावा दायर करने के लिए बयान किये हैं, जो गैरसायलान को स्वीकार नहीं है।
5. मद नं. 5 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। गैरसायलान के कोई गैरकानूनी मन्सूबे नहीं है। सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं रही है, बल्कि गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें बमुकाबले सायलान अत्यधिक क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में होना संभव नहीं है।
6. मद नं. 6 प्रार्थनापत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं।

आराजी साबिक खसरा नम्बर 1037, 1036 चाके ग्राम अकबरपुर, तहसील हिण्डौन, परसादी पुत्र चेतु, परताप पुत्र फूलचन्द, किशोर पुत्र कमल, धनीराम पुत्र रामहंस तथा बलवन्ता पुत्र हरगोविन्द, जाति गुर्जर, निवासी अकबरपुर के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि रही है जो नवीन खसरा नम्बर 1611 का भू–भाग है। उक्त 5 व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र हाजा के सायलान के पिता दरवसिंह तया गैरसायलान के विरुद्ध न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन में मुकदमा नम्बर 118/68 उनवानी परसादी प्रताप आदि बनाम दरवसिंह दावा इस्तकरार हक दिनांक 16.08.09 को दायर किया। उक्त दावे में प्रार्थनापत्र हाजा के सायलान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:43 IST
Reason: SelfAttested

पिता दरवसिंह ने स्वेच्छा से लिखित रूप में दिनांक 16.11.70 को यह राजीनामा लिखकर पेश किया कि उक्त दावा मुकदमा नम्बर 118/68 के सायलान खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर, तहसील हिण्डौन के खातेदार काश्तकार हैं जिससे प्रतिवादी दरबसिंह का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। उक्त राजीनामा उसी रोज सम्मानीय अदालत ने तस्दीक कर दिया तथा दिनांक 26.11.70 को बरूए राजीनामा उक्त मुकदमा डिक्री कर दिया। इस प्रकार विवादित भूमि मुतजिक्रा मद नं. 2 प्रार्थनापत्र के किसी भी भाग से दरबसिंह तथा सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान का मौजूदा दावा / प्रार्थनापत्र धारा 11 जा.दी. रेसजुडीकेटा तथा प्रिन्सीपल ऑफ ऐस्टोपल के कानूनी प्रावधानों के अनुसार खारिज होने योग्य है।

सायलान के पिता दरबसिंह के विरूद्ध उक्त मुकदमा नम्बर 118/68 मुतजिक्रा मद नं. 7 जवाब प्रार्थनापत्र डिक्री हो जाने के बावजूद सायलान के पिता दरबसिंह ने प्रार्थनापत्र हाजा के गैरसायलान के विरूद्ध उनवानी मुकदमा दरबसिंह बनाम प्यारसिंह आदि दावा तकास्मा मुकदमा नम्बर 71/81 तारीख रजु 9.7.81 दायर किया, जो दिनांक 16.9.85 को मुकदमा नम्बर 118/68 के निर्णयानुसार रेसजूडीकेटा के सिद्धान्त के आधार पर खारिज हुआ है। जबाब दावा के मद नम्बर 7, 8 में दर्ज मुकदमों के फैसला हो जाने के बावजूद प्रार्थनापत्र हाजा सायलान में तथ्यों को छिपाकर पुनः गैरसायलान के विरुद्ध उन्हीं तथ्यों का प्रकरण दागर किया है, जबकि सायलान व उसके पित्ता दरबसिंह के विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार मुकदमा नम्बर 118/68 तथा मुकदमा नम्बर 71/81 फैसला दिनांक 16.9.85 से समाप्त हो चुके हैं। जिससे सायलान पाबन्द हैं। इस कारण विवादित भूमि मुतजिक्रा मद नं. 2 प्रार्थनापत्र के 1/2 भाग के सायलान खातेदार काश्तकार नहीं है। विवादित भूमि के किसी भाग पर सायलान का कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए कब्जा के अभाव में प्रार्थनापत्र सायलान खारिज होने योग्य है। जवाब प्रार्थनापत्र के मद नम्बर 7 में दर्ज डिक्री होल्डर्स ने करीब 41 साल पूर्व गैरसायल रामसहाय से प्रति व्यक्ति 1200/—रूपया की दर से कुल 6000/— लेकर विवादित भूमि पर कब्जा करा दिया है जिस पर गैरसायलान 41 साल पूर्व से काबिज हैं। इस बाबत पंच पटेलान [illegible] गांव चांदनगांव के पंचों की दिनांक 09.07.08 को पंचायत हुई, जिसमें उक्त पंच फैसला गैरसायल रामसहाय के हक में स्टाम्प 20/— पर पंचों ने तहरीर तकमील कर अपने—अपने हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:43 IST
Reason: SelfAttested

निशानी कराकर नोटेरी पब्लिक हरदयाल लाटा एडवोकेट से तस्दीक कराकर गैरसायलान को दे दिया है। इस प्रकार विवादित भूमि के किसी भी भाग पर सायलान का कब्जा नहीं है। सायलान ने प्रार्थनापत्र हाजा से पूर्व दावा बावत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी के लिए मु.नं. 64/08 उनवानी नंगूराम बनाम प्यारसिंह आदि श्रीमान् न्यायालय में पेश किया है कि जो विचाराधीन है कि जिसमें तारीख पेशी दिनांक 18.11.2019 नियत है. इसलिए दावा / प्रार्थनापत्र टी.आई. वादीगण / सायलान धारा 10 व 11 सी.पी.सी. अनुसार रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण काबिल रिजेक्शन है।विवादित भूमि पर सायलान का कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन मेन्टीनेविल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। सायलान ने प्रार्थनापत्र हाजा से पूर्व भी एक टीआई का प्रार्थनापत्र श्रीमान् न्यायालय में पेश किया, जो श्रीमान् न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान खारिज फरमाया जाकर गैरसायलान को सायलान से हर्जा खास दिलाया जावे।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया गैरसायल न0 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 13.08.2021 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 97 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान् को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा न0 1611 स्थित ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन के सायलान के बहिस्सा 1/2 बतरफ पश्चिम में मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायलान को आराजी का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। ऐसा कोई कार्य तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे। जिससे सायलान पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने दौराने बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कहा गया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1037, 1036 चाके ग्राम अकबरपुर, तहसील हिण्डौन, परसादी पुत्र चेतु, परताप पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Heeraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:43 IST
Reason: SelfAttested

फूलचन्द, किशोर पुत्र कमल, धनीराम पुत्र रामहंस तथा बलवन्ता पुत्र हरगोविन्द, जाति गुर्जर, निवासी अकबरपुर के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि रही है जो नवीन खसरा नम्बर 1611 का भू—भाग है। उक्त 5 व्यक्तियों ने प्रार्थनापत्र हाजा के सायलान के पिता दरवसिह तया गैरसायलान के विरुद्ध न्यायालय एस डी.ओ. हिण्डौन में मुकदमा नम्बर 118/68 उनवानी परसादी प्रताप आदि बनाम दरवसिंह दावा इस्तकरार हक दिनांक 16.08.09 को दायर किया। उक्त दावे में प्रार्थनापत्र हाजा के सायलान के पिता दरवसिंह ने स्वेच्छा से लिखित रूप में दिनांक 16.11.70 को यह राजीनामा लिखकर पेश किया कि उक्त दावा मुकदमा नम्बर 118/68 के सायलान खसरा नम्बर 1036, 1037 वाके ग्राम अकबरपुर, तहसील हिण्डौन के खातेदार काश्तकार हैं जिससे प्रतिवादी दरबसिंह का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। उक्त राजीनामा उसी रोज सम्मानीय अदालत ने तस्दीक कर दिया तथा दिनांक 26.11.70 को वरूए राजीनामा उक्त मुकदमा डिक्री कर दिया। इस प्रकार विवादित भूमि मुतजिक्रा मद नं. 2 प्रार्थनापत्र के किसी भी भाग से दरबसिंह तथा सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान का मौजूदा दावा / प्रार्थनापत्र धारा 11 जा.दी. रेसजुडीकेटा तथा प्रिन्सीपल ऑफ ऐस्टोपल के कानूनी प्रावधानों के अनुसार खारिज होने योग्य है।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2073—76 खाता संख्या 97 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान व गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू—भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं प्रकरण में मूल [illegible] एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। इस प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:43 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 13.06.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 1611 वाके ग्राम अकबरपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 27/3/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:59:43 IST
Reason: SelfAttested